कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्रथम तल, टैगोर छात्रावास, क्रमांक टी-2, दूरदर्शन रोड, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

क्रमांक:- 4/शैक्ष./सी/2019/काउ./ 958 भोपाल, दिनांक 06 / 07 / 2019

सहायता केन्द्रों हेतु आवश्यक सूचना

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02-07-2019 द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" (EWS) को 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। आदेश के परिपालन में संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ऑनलाईन ऑफ़-कैम्पस काउंसलिंग में आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान सम्मिलित किया जाकर संशोधित कार्यक्रम जारी किये गये है।

अंत: पूर्व में काउंसलिंग में पंजीयन, सत्यापन, प्राथमिकता का चयन कर चुके अथवा प्रथम चरण में सम्मिलित होने के उपरांत द्वितीय चरण में आने के इच्छुक सामान्य श्रेणी के ''आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'' (EWS) के अभ्यर्थी, उपरोक्त आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त आरक्षण का लाभ लेने हेतु सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थी जो पूर्व में काउंसलिंग में सम्मिलित हो चुके है, वे सहायता केन्द्र पर उपस्थित होते तो उनके दस्तावेज का सत्यापन एमपी आनलाईन के जीटूजी में उपलब्ध लिंक पर जाकर सत्यापित करें एवं पावती अभ्यर्थी को दें।

उपसंचालक (प्रवेश)
संचालनालय तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश